उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या- 1348 /77-3-2026/ई-1953824

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2026

श्री ऋतिक कुमार सिंघल, पुत्र श्री पवन कुमार सिंघल, ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, ... विपक्षीगण

आदेश

प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(3) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.03.2025 एवं दिनांक 18.07.2025, जिसके द्वारा प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना RPS-05/2021 के अन्तर्गत सेक्टर-20, ब्लॉक-ए में आंवटित 4000 वर्गमी० भूखण्ड संख्या-39 का आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्ध योजित की गयी है।

2- प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 19.05.2026 को सुनवायी की गयी, जिसमें यीडा की ओर से श्री अजब सिंह भाटी, प्रबन्धक (सम्पत्ति) एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री पवन कुमार सिंघल, पिता श्री ऋतिक कुमार सिंघल द्वारा प्रतिभाग किया गया।

3- प्रकरण संक्षेप में निम्नवत है -

1. यीडा द्वारा दिनांक 22.04.2022 को पुनरीक्षणकर्ता को भूखण्ड संख्या-ए 39, सेक्टर-20 में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड हेतु 10% की धनराशि आवेदन के समय जमा थी। आवंटन तिथि 22.04.2022 के पश्चात एकमुश्त भुगतान के अन्तर्गत रू० 6,26,40,000/- 60 दिन के अन्दर जमा किया जाना था।
2. आवंटन धनराशि/किश्तें - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी खाता में प्राधिकरण के पक्ष में जमा की जानी थी।
3. उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 04.01.2023 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की लॉटरी के दिनांक 18.04.2022 से पूर्व रू० 49,15,555/- की धनराशि जमा की गई है। यीडा के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सम्भवत: एचडीएफसी के साथ मिलकर किसी अन्य भूखण्ड के सापेक्ष जमा

धनराशि को इस भूखण्ड के सापेक्ष जमा दिखाया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा के आदेश द्वारा 12% ब्याज के साथ जमा धनराशि जमा कराने हेतु दिनांक 21.07.2022 तक का समय प्रदान किया गया था, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की गई, जो भूखण्ड आवंटन की शर्त संख्या-19 का उल्लंघन है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के पत्र दिनांक 24.04.2023 द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा धनराशि समयान्तर्गत जमा की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा के अनुमोदन दिनांक 08.06.2023 के क्रम में आदेश दिनांक 15.06.2023 द्वारा इस शर्त के साथ भूखण्ड आवंटन बहाल कर दिया गया कि प्रस्तुत किये गये चालान अथवा अन्य कोई गलत तथ्य प्रकाश में आने पर भूखण्ड का आंवटन स्वत: निरस्त समझा जाएगा।
5. पुनरीक्षणकर्ता के पत्र दिनांक 04.04.2024 एवं 14.10.2024 द्वारा अतिरिक्त जमा धनराशि अन्य भूखण्ड संख्या-ए-93, सेक्टर-20 के सापेक्ष समायोजित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में बोर्ड के समक्ष प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि उक्त धनराशि समायोजित की जानी है अथवा नहीं, उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित समस्त तथ्यों पर विचार विमर्श एवं बोर्ड बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के वित्त व सम्पत्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार विमर्श के उपरान्त भूखण्ड के आवंटन से पूर्व धनराशि जमा करने को कृत्य को अवैध मानते हुये श्री ऋतिक कुमार सिंघल को आवंटित भूखण्ड संख्या-39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20, क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर का आवंटन निरस्त करने का निर्देश दिया गया है।
6. संचालक मण्डल के उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
7. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-10742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2025 को निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन दिया गया :-

> As noted above, the only ground on which the allotment has been cancelled is that the amounts deposited prior to the date of allotment, cannot enure to the benefit of the petitioner. The argument which is being raised before this Court in opposition to the writ petition, has not been the ground to cancel the allotment, therefore, in our opinion, the entire aspect is required to be

considered by the Authority in the light of the representation made by the petitioner.

Accordingly, the petition is disposed of with direction to respondent-Authority to pass a speaking order on the representation dated 28.3.2025 and any additional representation as may be made by the petitioner in pursuance of the instant order within two weeks. It is further provided that until decision is taken, no third party right shall be created by the respondent-Authority over the plot in question.

8. मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा प्रत्यावेदन दि० 28.03.2025, 15.04.2025, 22.04.2025, 28.04.2025, 08.07.2025 एवं 09.07.2025 पर प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में निम्नवत आदेश पारित किया गया -

"संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्राधिकरण के वित्त विभाग एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के क्रम में आवंटी द्वारा योजना की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, आवंटन से पहले प्लाट के विरुद्ध धनराशि जमा करने, आवंटन धनराशि का भुगतान निर्धारित बैंक में जमा न करने आदि अनियमितताओं के दृष्टिगत भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।"

4- प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा-41(3) के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नवत कथन प्रस्तुत किया गया है :-

1. उसके पिता के नाम से भूखण्ड संख्या-93, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20 यीडा में भूखण्ड आवंटित था। उक्त भूखण्ड के सापेक्ष रूपये 4.63 करोड़ का भुगतान अवशेष था। उक्त भूखण्ड की अवशेष धनराशि जमा की जानी थी, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता के लेखाकार द्वारा बिना किसी कदाशयता के भूखण्ड संख्या-93 की जगह '39' लिख दिया गया। केवल इसी कारण से धनराशि पूर्व में जमा प्रदर्शित हुई।
2. भूखण्ड संख्या-39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20 के समस्त देयकों का भुगतान प्राधिकरण को 60 दिनों के निर्धारित समय के अन्दर कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त का विवरण निम्न्वत प्रस्तुत किया गया है -

क्रं०	दिनांक	यू०टी०आर० संख्या	धनराशि
1.	21.05.2022	PUNBR52022052112817009	48,41,000/-
2.	27.05.2022	PUNBR52022052713025533	66,26,100/-
3.	02.06.2022	PUNBR52022060213185605	17,93,000/-

4.	02.06.2022	PUNBR52022060213185258	19,88,000/-
5.	14.06.2022	PUNBR52022061413584947	4,70,000/-
6.	14.06.2022	PUNBR52022061413584927	9,00,000/-
7.	17.06.2022	PUNBR52022061713685632	3,00,00,000/-
8.	19.06.2022	PUNBR52022061913734567	7,90,000/-
9.	19.06.2022	PUNBR52022061913734566	8,85,000/-
10.	19.06.2022	PUNBR52022061913734563	20,00,000/-
11.	21.06.2022	217222048915	2,000/-
12.	21.06.2022	PUNBR52022062113813780	1,31,56,000/-
आवंटन के पश्चात जमा की गयी कुल धनराशि रूपये - 6,34,51,100/-			

3. यीडा के प्रबन्धक (सम्पत्ति) द्वारा आवंटन के पश्चात जमा की गयी उपरोक्त धनराशि तथा रूपये 8,11,100/- अतिरिक्त जमा किये जाने की सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक के सत्यापन पत्र दिनांक 07.01.2023 एवं 06.01.2023 प्रस्तुत किये गये हैं।
4. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रथम बार निरस्तीकरण दिनांक 04.01.2023 के पश्चात प्रस्तुत प्रत्यवेदन के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा सभी तथ्यों की पुष्टि कराने के पश्चात दिनांक 08.06.2023 को भूखण्ड बहाल किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा तत्क्रम में यीडा के आदेश दिनांक 15.06.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में पुनर्स्थापित कर दिया गया।
5. दिनांक 18.07.2025 को पारित भूखण्ड का निरस्तीकरण आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा पारित स्पीकिंग आर्डर में बिना किसी त्रुटि का उल्लेख किये पारित किया गया है, जो अनुचित है।
6. निरस्तीकरण आदेश में निर्धारित बैंक खाते में धनराशि जमा न कर बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक के खाते में धनराशि जमा किये जाने के आधार पर भूखण्ड को निरस्त नहीं किया जा सकता। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसी योजना के अन्तर्गत श्री लेखराज मदान को आवंटित भूखण्ड संख्या-122 की धनराशि यीडा के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जमा की गयी है तथा उक्त भूखण्ड की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जा चुकी है।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा के आदेश दिनांक 08.06.2023 द्वारा पूर्ण रूप से निस्तारित प्रकरण को बिना किसी नवीन तथ्य, समान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न होने तथा कोई फ्रॉड न पाये जाने के बाद भी रि-ओपन किया जाना गलत है।

8. पूर्व में दिनांक 24.03.2025 तथा दिनांक 18.07.2025 को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी का कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों उल्लंघन है।
9. लेखराज मदान के उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया।

5- उपर्युक्त के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नवत अनुरोध किया गया है :-

1. प्राधिकरण द्वारा निर्गत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 24.03.2025 एवं दिनांक 18.07.2025 को निरस्त किया जाए।
2. यीडा को पुनरीक्षणकर्ता को आंवटित प्लॉट संख्या 39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20 को तत्काल बहाल करने और बिना किसी विलम्ब के उक्त प्लॉट का पट्टा विलेख श्री लेखराज मदन के प्लॉट संख्या-122 के पट्टा विलेख दिनांक 04.12.2025 में निहित शर्तों के अनुरूप निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
3. माह जनवरी-मार्च, 2022 के दौरान प्राधिकरण के एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में जमा की गई कुल धनराशि रूपये 49,15,555/- को उनकी मूल जमा तिथियों से, पुनरीक्षणकर्ता के पिता के प्लॉट संख्या ए-93, सेक्टर-20 (आवंटन संख्या YEA000097) की बकाया देनदारी के भुगतान हेतु जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये, क्योंकि ये भुगतान हमेशा से इसी प्लॉट के लिए किये गये थे।
4. प्लॉट संख्या-39 के लिए निष्पादित पट्टा विलेख के समय देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/पट्टा किराया/वरीयता स्थान शुल्क के लिए उसके पास लंबित 8,11,100/- रुपये की अतिरिक्त राशि को समायोजित करने हेतु प्राधिकरण को निर्देशित किया जाये।
5. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्य आदेश, जो उचित और न्यायसंगत हों, पारित किया जाये।

6- प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका में यीडा द्वारा उलपब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत है -

1. आवंटन पत्र के अनुसार आवंटी को आवंटन धनराशि रू० 6,26,40,000.00 का भुगतान दिनांक 21.06.2022 तक प्राधिकरण के आई.सी.आई.सी.आई बैंक में किया जाना था। जिसका उल्लेख आवंटन पत्र में किया गया, किन्तु आवंटी श्री ऋतिक कुमार सिंघल द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होने प्राधिकरण के अन्य विभिन्न बैंकों (HDFC & BANK OF BARODA) में ड्रा से

पूर्व दिनांक 31.01.2022 एवं 31.03.2022 को कुल धनराशि रू० 49,15,555.00 प्राधिकरण में जमा करायी गयी।

2. उक्त योजना का ड्रा दिनांक 18.04.2022 को किया गया तथा आवंटन पत्र दिनांक 22.04.2022 को जारी किया गया, जबकि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र के निर्गत होने के दिनांक से पूर्व ही आवंटन धनराशि जमा करने के संबंध में अवगत कराया जो कि विधिक रूप से संभव नहीं है। ड्रा से पूर्व आवंटन होने तथा इसके संबंध में आवंटन धनराशि आवंटन पत्र जारी होने से पूर्व ही जमा करने का उल्लेख ब्रोशर की शर्तों एवं आवंटन पत्र में स्थापित नियम के विरूद्ध है।
3. श्री ऋतिक कुमार सिंघल द्वारा आवंटन धनराशि का भुगतान ड्रा दिनांक 18.04.2022 से पूर्व किया गया है। ड्रा में कौन सा भूखण्ड आवंटित होगा की जानकारी ड्रा के उपरान्त ही होती है। इनके द्वारा संभवतः HDFC BANK के साथ मिलकर किसी अन्य भूखण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि को इस भूखण्ड के सापेक्ष जमा दिखाया गया जिसके कारण आवंटी को आवंटित भूखण्ड को निरस्त करते हुये भूखण्ड के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस किये जाने का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया गया जिसकी सूचना आवंटी को पत्र संख्या YEIDA/RPS05/सम्पत्ति/996/2022, दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी।
4. आवंटी के पत्र दिनांक 24.04.2023 एवं समय से (दिनांक 22.04.2022 से 60 दिन के भीतर दिनांक 21.06.2022 तक) आवंटन धनराशि जमा होने के कारण आवंटी के निरस्त किये गये भुखण्ड को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में बहाल किया गया, जिसकी सूचना आवंटी को पत्र दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी।
5. आवंटी द्वारा पत्र दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से भूखण्ड संख्या-39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20, आवंटन संख्या RPS051413 की लीज निष्पादन कराये जाने एवं अधिक जमा धनराशि को अपने अन्य भूखण्ड संख्या-93, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20, आवंटन संख्या-YEA000097 (जो इनके पिता श्री पवन कुमार सिंघल के नाम से है) में समायोजित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त भूखण्ड की लीज डीड निष्पादित कराते हुये जमा अधिक धनराशि को इनके पिता के भूखण्ड में समायोजित किया जाना है अथवा नहीं ? के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण

की 83वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-23 में मा० संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें मा० संचालक मंडल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित समस्त तथ्यों पर विचार विमर्श एवं बोर्ड बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के वित्त व सम्पत्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार विमर्श के उपरान्त भूखण्ड के आवंटन से पूर्व धनराशि जमा करने को कृत्य को अवैध मानते हुये श्री ऋतिक कुमार सिंघल को आवंटित भूखण्ड संख्या-39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20, क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर का आवंटन निरस्त करने का निर्देश दिया गया है। जिसकी सूचना आवंटी को पत्र संख्या-YEIDA/RPS05/सम्पत्ति/341/2025, दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से प्रेषित की गयी।"

6. आवंटन निरस्तीकरण के विरूद्ध आवंटी द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-10742/2025 में दिनांक 11.04.2025 को पारित आदेश के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण (Authority) की 85वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-13 में मा० संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मा० संचालक मंडल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्राधिकरण के वित्त विभाग एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के क्रम में आवंटी द्वारा योजना की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, आवंटन से पहले प्लॉट के विरूद्ध धनराशि जमा करने, आवंटन धनराशि का भुगतान निर्धारित बैंक में जमा न करने आदि अनियमितताओं के दृष्टिगत भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।"

7- प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवायी की गयी। प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः दो आधारों पर भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

(1) भूखण्ड के आवंटन से पूर्व धनराशि जमा किया जाना।

(2) आवंटन धनराशि का भुगतान यीडा के निर्धारित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाते के स्थान पर अन्य बैंक खाते (एचडीएफसी व बैंक ऑफ बड़ौदा) में धनराशि जमा कराया जाना।

8- उपर्युक्त बिन्दु-7(1) के सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि उसके लेखाकार द्वारा बिना किसी कदाशयता के भूखण्ड संख्या 93 की जगह '39' लिख दिया गया, केवल इसी कारण से धनराशि पूर्व में जमा प्रदर्शित हुई, को स्वीकार न किये जाने के

सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवंटन से पूर्व धनराशि जमा होने में क्या अवैधानिकता है। प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2025 में निम्नवत ऑब्जर्वेशन दिया गया है -

> As noted above, the only ground on which the allotment has been cancelled is that the amounts deposited prior to the date of allotment, cannot enure to the benefit of the petitioner. The argument which is being raised before this Court in opposition to the writ petition, has not been the ground to cancel the allotment, therefore, in our opinion, the entire aspect is required to be considered by the Authority in the light of the representation made by the petitioner.

मा० उच्च न्यायालय के उक्त ऑब्जर्वेशन से यह स्प्ष्ट है कि आवंटन से पूर्व धनराशि जमा किया जाना निरस्तीकरण का कोई आधार नहीं हो सकता। मा० उच्च न्यायालय के उक्त ऑब्जर्वेशन को न मानने का कोई आधार प्राधिकरण द्वारा प्रसतुत नहीं किया गया है।

9- बिन्दु-7(2) के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन प्रथम बार दिनांक 04.01.2023 को निरस्त किया गया था, जिसके पश्चात पुनरीक्षणकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए तथा भली-भांति संतुष्ट होने के पश्चात कि भूखण्ड का सम्पूर्ण देयक प्राधिकरण के पक्ष में जमा हो चुका है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा उक्त भूखण्ड को पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश दिनांक 15.06.2023 को पारित किया गया। अत: उक्त आदेश के पश्चात बिना किसी अतिरिक्त तथ्य के उक्त भूखण्ड का आवंटन इस आधार पर निरस्त करना, कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ब्रोशर में निर्धारित यीडा के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाते के स्थान पर अन्य बैंक खाते (एचडीएफसी व बैंक ऑफ बड़ौदा) में धनराशि जमा कराया गया, उचित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इसी योजना में लेखराज मदान को आवंटित भूखण्ड संख्या-122, ब्लॉक ए, सेक्टर-20 की धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जमा कराने तथा उक्त भूखण्ड की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2025 को निष्पादित किये जाने का उदाहरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया गया है। अत: पुनरीक्षणकर्ता के साथ उक्त आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण को आवंटन से पूर्व जमा धनराशि को छोड़कर भी समस्त धनराशि समयान्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। अत: उक्त आधार पर भूखण्ड निरस्त किये जाने की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है।

10- प्राधिकरण का यह कथन कि आवंटन से पहले धनराशि जमा नहीं होनी चाहिए तथा ब्रोशर/आवंटन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक में धनराशि नहीं जमा होनी चाहिए, सही है, किन्तु यह प्रकरण एक मानवीय भूल एवं संयोगवश है कि जिस

सेक्टर-20 में पुनरीक्षणकर्ता को भूखण्ड संख्या-39 आवंटित हुआ, उसी सेक्टर में पुनरीक्षणकर्ता के पिता के नाम पर भूखण्ड संख्या-93 पहले से ही आवंटित है। अत: भूखण्ड संख्या-93 की धनराशि भूखण्ड संख्या-39 की मद में जमा होना एक सहवन त्रुटि है। इस त्रुटि के लिए पुनरीक्षणकर्ता को दण्डित किया जाना उचित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता को उक्त भूखण्ड की लीजडीड में पहले से ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.03.2025 तथा यीडा के बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2025 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए उक्त भूखण्ड संख्या-39, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20 पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में बहाल किया जाता है तथा पुनरीक्षणर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने की तिथि से जमा की गयी अतिरिक्त धनराशि को उसके पिता को आवंटित भूखण्ड संख्या-93, ब्लॉक-ए, सेक्टर-20 के अवशेष देयकों के सापेक्ष नियमानुसार समायोजित किया जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

दीपक कुमार
अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2. श्री हितिक कुमार सिंघल, पुत्र श्री पवन कुमार सिंघल, निवासी-फ्लैट संख्या-002, टॉवर-बी, ग्रीनविच सोसाइटी, ग्रान्ड ओमेक्स, सेक्टर-93बी, नोएडा-201301
3. आई.टी. सेल, इन्वेस्ट यू०पी०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश इन्वेस्ट यू०पी० की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव।